


CR of correction slip of MC NO- 232/04-05

शुद्धि-पत्र

अंचल-- देवर



पंजी में दर्ज संख्या वर्ष	गोदा	पाना नं०	नामान्तरण से संबंधित अभिवृत्ति की संख्या	नामान्तरण स्वीकृत करने वाले पदा० एवं ति० दिनि	नामान्तरण के विवरण	विवरण	अनुपालन तिथि
232/04-05	सलागाती	253	20/3423	अ० अ० देवर	वि० देवर	<p>पंजीमा संख्या <del>232/04-05</del></p> <p>दाग नं० <del>...</del></p> <p>रकम रकवा</p> <p>लगान - 18.00</p> <p>सॉरिज को जाने वाली जमीन का रकवा 3202.5</p> <p>आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पता</p> <p>श्री कृष्ण सुप्रिया (डी) देवि बासि</p> <p>उ० डि० सा० देवर जि० दे० दे०</p> <p>पंजी II में दालिस की जाने वाली जमीन का रकवा 3202.5</p> <p>दायिक लगान - 1.00 + 2.00 = 3.00</p> <p>अनुपालन प्रतिवेदन</p> <p>तक समर्पित करें।</p>	

ATTESTED

SANJAY KUMAR SINGH  
M.P. Pitha  
G.O. & H.A. Dehra Dun

सचची प्रमाणित प्रतिलिपि

18-5-09

अंचल कार्यालय, देवर

1202 के अधिनियम 2 की धारा

10 के अन्तर्गत अधिष्ठात।

अंचल/अवि०, देवर

अंचल अधिकारी, देवर।

23509

प्रतिलिपि नंदाघत हल्का कर्मचारी को सूचनाथं एवं अनुपालनाथं प्रेषित।

नकल तैयार किया मिलान किया

14/5/09

Vats Construction

Shamal Vats

Proprietor

Date of order dated 23/10/04 of MC.NOI-232/04-05  
 Date of stamp - 14/11/04 Date of issuing of C.O. - 18/11/04

अदेश

2-8-04  
 अश्लेष उपस्थापित । प्रस्ताव वाद आवेदन / आवेदनिका...  
 विना/ पी.सी. नं. 253...  
 नामांतरण हेतु आवेदन दाखिल...  
 धारा 2202...  
 धारा 2202...

की है । दाखिल आवेदन के आधार पर संबंधित एका कर्मचारी को  
 अंश निरीक्षक से स्थानीय को राज्य अभिक्षी का लॉय कराकर  
 प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । तत्पश्चात सोमच ज्ञाना देयत को आमंत्रित  
 दाखिल करने हेतु सुझाव निर्गत की गयी । किन्तु तात्कालिक अभिक्षेक  
 है। निर्धारित अवधि के अन्दर किसी से कोई अपास्त प्राप्त नहीं हुआ ।  
 हस्ता कार्यवाही को अंश निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात  
 अनुसार आवेदन/ आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित करीब  
 निर्दिष्ट केवामा नं. 253... विना...  
 का पूर्ण दस्तावेज है । किन्तुगत करीब धर्माही लॉय की है ।  
 तत्पश्चात लॉय एवं सुददी से गुप्त है । हस्ता कार्यवाही एवं अंश  
 निरीक्षक किन्तुगत लॉय का नामान्तरण आवेदन के नाम से स्वीकृत  
 करने हेतु अनुज्ञता की है ।

अतः एका कर्मचारी को अंश निरीक्षक का अनुज्ञेता  
 निर्दिष्ट केवामा, इति एवं लॉय एवं अनुज्ञेता के आधार पर  
 मीमा. 253... धारा नं. 311... रजमा. 2202...  
 नामान्तरण आवेदन/ आवेदिका...

पिता...  
 धारा...  
 अनुज्ञेता लॉय...  
 आवेदन नं. 253...  
 तदायक मुद्रि एवं निर्गत करे तथा अनुज्ञेता हेतु एका कर्मचारी को हस्तगत  
 कराये ।

टंकित कराया एवं मुद्रि किया  
 अंश अधिकारी  
 केदार

ATTESTED  
 15/11/04  
 SANJAY KUMAR SINGH  
 अंश अधिकारी  
 केदार

नकल तैयार किया मिलान किया

18-9-04

Vats Construction  
 Shumal Vats  
 Proprietor

सचची प्रमाणित प्रतिलिपि  
 18-11-04  
 प्रधान सहायक  
 अंचल कार्यालय, देवघर  
 1002 के अधिनयन 1 को धारा  
 76 के अन्तर् अधिक्षत ।